न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम : मुकेश कुमार कलाल, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2017 (राजस्व अपील) दायर दिनांक 03.01.2017

श्री सत्यनारायण पिता हीरालाल जाति जाट उम्र वयस्क निवासी विरौली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ ।

अपीलांट

बनाम

सरकार जरिये पटवार हल्का करजाली तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार कपासन प्रकरण नं.265/2016 निर्णय दिनांक 24.10.2016

उपस्थितः— वकील अपीलान्ट :— श्री शिवनारायण जाट

वकील रेस्पोडेन्ट :— पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 27.11.2019

उपरोक्त अनुवान प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभिभाषक अपीलान्ट ने एक अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार कपासन दिनांक 24.10.2016 प्रकरण संख्या 265/2016 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् इस न्यायालय में अपीलान्ट श्री सत्यनारायण पिता हीरालाल जाति जाट निवासी विरोली तहसील कपासन ने विरूद्ध रेस्पोडेन्ट सरकार जरिये तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ के प्रस्तुत की कि ग्राम मौजा विरोली की आराजी नम्बर 286 रकबा 0.13 हैक्टर, 287 रकबा 0.35 हैक्टर, 288 रकबा 0.40 हैक्टर भूमि किस्म चारागाह पर अपीलान्ट सत्यनारायण पिता हीरालाल जाति जाट ने अतिक्रमण कर रखा है जिस पर पत्रावली दर्ज कर पटवार हल्का के बयान लिये गये तथा अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर 2 माह के सिविल कारावास की सजा एवं 50/—रू. शास्ती से आरोपित किया है। इस निर्णय से असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट अपील प्रस्तुत कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया तथा अपीलान्ट अनपढ़ ग्रमीण व्यक्ति होन से कार्यवाही में अपना बचाव प्रस्तुत नही कर सका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा मानस बना निर्णय देने में भारी

कानूनी भुल की है। अपीलान्ट का पश्चात्वर्ती कब्जा किया जाना किसी भी तरह से साबित नहीं हुआ है एवं अपीलान्ट को पूर्व में बेदखल किया गया हो। ऐसा कोई प्रकरण पूर्व में निर्णित नहीं हुआ है एवं अपीलान्ट ने दुबारा कब्जा कर लिया हो ऐसा कोई आदेश पेश नहीं हुआ है। जिसे की अपीलान्ट का पश्चातवर्ती कब्जा किया जाना प्रमाणित हो इस तथ्य के अभाव में अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय दिया जाना न्यायोचित नही है। पटवार हल्का ने गलत रिर्पोट प्रस्तुत की है। अपीलान्ट की उपस्थिति में कोई रिपोर्ट नहीं बनाई गई, गवाह कोन है का स्पष्टीकरण नहीं है, ना ही गवाहान के बयान लिये गये है। अपीलान्ट को जारी किया गया नोटिस अर्न्तगत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम अपीलान्ट को प्रोपर तामिल नहीं हुआ है, पुत्री सीमा के हस्ताक्षर करवा कर तामिल कुनिन्दा नोटिस वापिस ले गया इसलिए अपीलान्ट को कार्यवाही की जानकारी नही हो सकी। अपीलान्ट दिनांक 24.10.2016 को तहसीलदार साहब के यहां गया तो खाली फर्द अहकाम पर दस्तखत करवा लिये और बाद में विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। पटवार हल्का के बयान एक तरफा जिरह का कोई मौका नहीं दिया गया इस कारण अपीलान्ट को जिरह का अवसर नहीं दिया गया, नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त की अवहेलना कर निर्णय पारित किया जो निरस्त योग्य है। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी देरी से होने से अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन फरमाई जाकर अपील अन्दर मियाद स्वीकार फरमाई जावें। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अर्न्तगत धारा–5 कानूनी मियाद अधिनियम प्रार्थी अपीलान्ट अपील के साथ ही प्रस्तुत कर रहा है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को सूचना पत्र दिनांक 30.12.2016 को जारी किये गये एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई जो इस न्यायालय को दिनांक 31.01.2017 को प्राप्त हुई।

सूचना पत्र बाद तामिल प्राप्त। रेस्पोडेन्ट तहसीलदार कपासन की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। पेरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत नही कर सीधे ही बहस चाहने से प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित आये जिनकी बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराया तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया।

वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट द्वारा जो अपील प्रस्तुत की है एवं जो तथ्य बताये है वह अस्वीकार योग्य है क्योंकि रेस्पोडेन्ठ तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय आदेश भूमि खाता सरकार चारागाह में दर्ज होने से न्याय संगत है। चुकिं भूमि खाता सरकार चारागाह में दर्ज है एवं तहसीलदार ने भूमिधारी की हैसियत से भूमि से बेदखली एवं अतिक्रमी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने से 2 माह सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जाने एवं लगान का 50 गुना शास्ती आदेश पारित किये है जो न्याय पूर्ण एवं विधि सम्मत है।

अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्यायसंगत होने से अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय का बहाल रखा जावें ।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड एवं दस्तावेजात अवलोकन किया। बहस में प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर अपीलान्ट द्वारा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। उक्त भूमि भूमिधारी तहसीलदार के खाते की है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को (अप्रार्थी) को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (3) के तहत् अतिक्रमित घोषित किया जाकर जुर्माना स्वरूप 50 रूपये की शास्ति आरोपित कर अपीलान्ट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने से दो माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया तथा ग्राम विरोली के आराजी नम्बर 286 रकबा 0.13 हैक्टर आराजी नम्बर 287 रकबा 0.35 हैक्टर आराजी नम्बर 288 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म प 2(चरनोट) भूमि पर से अप्रार्थी (अपीलान्ट) को भौतिक रूप से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया। बहस के दौरान वकील अपीलान्ट ने जाहीर किया कि अप्रार्थी/अपीलान्ट अनपढ होने से रिक्त फर्दअहकाम पर हस्ताक्षर कराये गये जो अपीलान्ट द्वारा कर दिये गये इस प्रकार अप्रार्थी को सुनवाई का पूर्णय अवसर नही दिया गया तथा बयान पटवारी हल्का के आधार पर अप्रार्थी को दो माह की सिविल कारावास की सजा सुनाई गई जो अवैधानिक है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को निरस्त फरमाई जावे। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने से तथा प्रार्थी को सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किये गये जो बाद तामिल प्राप्त हुए है। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर अतिक्रमी को अतिक्रमण हटाने हेतु कहा गया लेकिन अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण नही हटाये जाने पर रिपोर्ट अतिक्रमण कि की गई।

भूमि चारागाह की होने से अतिक्रमण हटाया जाकर अप्रार्थी को सुनाई गई सजा एवं शास्ति नियमानुसार एवं विधि अनुसार है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर सिविल कारावास की सजा को निरस्त किया जाता है तथा अधिनस्थ न्यायालय का शेष निर्णय यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया।

(मुकेश कुमार कलाल)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन),चित्तौड़गढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Kumar
Date: 2020.03.06 12:35:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: